संख्या-12/2015/447/1-4-15-151बी-4/12

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 24 मार्च, 2015**

विषयः-राजस्व विभाग द्वारा जनसामान्य को आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र की सुविधा को उप जिलाधिकारी/तहसीलदार के डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-2588/1-4-10-458बी-4/10, दिनांक-27-11-2010 तथा 1018/1-4-12-151बी-4/2012, दिनांक-16-07-2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो नेशनल ई-गवर्नेस प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस0एस0डी0जी0) योजना द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में जनसेवा केन्द्र/ लोकवाणी केन्द्र के माध्यम से जन सामान्य को आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा उपलब्ध कराये जाने विषयक है। इस हेतु उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराये गये हैं एवं प्रदेश के समस्त जनपदों में एस0एस0डी0जी0 के माध्यम से डिजीटल सिग्नेचर के द्वारा आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।

2- कतिपय जनपदों में अभी भी इस योजना से पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अन्तर्गत आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों द्वारा मैनुअली अपने हस्ताक्षर से निर्गत किये जा रहे है, जो शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था की भावना के प्रतिकूल है। एस0एस0डी0जी0 योजना के अन्तर्गत डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही निर्गत होते हैं, जबकि मैनुअली निर्गत प्रमाणपत्रों के विवरण की निर्गत होने के पश्चात राजस्व परिषद की वेबसाइट पर इण्ट्री की जाती है। प्रमाणपत्रों के मैनुअली निर्गत होने पर उनके समयबद्ध रूप से निर्गत न होने, शत प्रतिशत ऑनलाइन सत्यापित न होने तथा कतिपय प्रकरणों में फर्जी प्रमाणपत्रों के निर्गत होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

3- वर्तमान में प्रदेश के अधिकांश जनपदों में शत प्रतिशत प्रमाणपत्र एस0एस0डी0जी0 योजना के अन्तर्गत डिजीटल हस्ताक्षर से निर्गत किये जा रहे हैं, जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्रदेश के समस्त जनपदों में डिजीटल हस्ताक्षर के प्रयोग से उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार भलि-भांति भिज्ञ हैं। ऐसी स्थिति में अब प्रमाणपत्रों के मैनुअल हस्ताक्षर से निर्गत् किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा यह

--2--

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रेदश की समस्त तहसीलों में आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों द्वारा एस0एस0डी0जी0 योजना के अन्तर्गत डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से ही निर्गत किये जायेगें एवं किसी भी अवस्था में किसी भी उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार के मैनुअल हस्ताक्षर से प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किये जायेगें। यदि उपरोक्त तिथि के पश्चात किसी तहसील में मैनुअल हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र निर्गत होना पाया जाता है तो इसे गम्भीरता से लिया जाएगा।

कृपया तदनुसार समस्त आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण कर उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 12/2015/447(1)/1-4-15-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- राज्य समन्वयक सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स उ0प्र0 अप्रट्रान बिल्डिंग निकट गोमती बेराज, गोमती नगर लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0 अशोक मार्ग लखनऊ।
5- उप निदेशक, एवं एस0आई0ओ0 एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(डी0के0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in